प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 31 मार्च, 2011

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2010–11में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल में एल0पी0जी0 सिलैन्र्डस हेतु नये गोदाम के निर्माण के प्रथम चरण के कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल के पत्र संख्याः एस.एस.जी.के./एडम/5/दिनांकः 01 जनवरी, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में एल0पी0जी0 सिलैन्र्डस हेतु नये गोदाम के निर्माण के प्रथम चरण के कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0पे0स0वि0 एवं निर्माण निगम, नैनीताल द्वारा गठित आंगणन की औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 19000.00 (रूपये उन्नीस हजार मात्र) पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू0 19000.00 (रूपये उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत शासनादेश संख्याः 1261/XXIV-3/10/02 (16)10 दिनांकः 13 सितम्बर, 2010 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 275.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान करते हैः–

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
2. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आंगणन में समायोजित की जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल की भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219 (2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर जी जाए। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–800–अन्य व्यय–09–सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान, –00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 973(P)XXVII(3)2010-11दिनांकः 15 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकनसंख्याः 50(1)/XXIV-3/10/02(117)05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
7– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8– जिलाधिकारी, नैनीताल।
9– कोषाधिकारी, नैनीताल।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
11– प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल।
12– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय सचिवालय।
13– वित्त विभाग(अनुभाग–3)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
14– कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
15– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16– सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी (उ0पे0सं0वि0 एवं नि0नि0नैनीताल)।
17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।